

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती मोहनी बाई

बनाम

विपक्षी : श्री उदयलाल व अन्य

किस्म मुकदमा - 128 भूराजस्व अधिनियम

पत्रावली संख्या : 46/24

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 13.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 4 की तामिल प्राप्त कर्ता विपक्षी संख्या 4 की बहू हैं एवं परिवार सामलाती में रहता है जिससे विपक्षी संख्या 4 की तामिल बाद तामिल माने जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पत्थरगढी से संबंधित हैं। अतः पुर्व आदेशिका को सुधारते हुये विपक्षी संख्या 4 की तामिल बाद तामिल मानी जाती है। विपक्षी संख्या 1 से 10 अनुपस्थित। रूक-रूक कर तीन बार आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 10 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 11 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीया खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौस में विपक्षीगण की भूमि आ गई है और प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से विवाद रहता है जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया खातेदार हैं। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार हैं। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रकरण में प्रार्थीया व विपक्षीगण की भूमि के बीच में पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वरणी पटवार हल्का वरणी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078-81 की खाता संख्या नया 371 की आराजी न. 1200, 1201 किता 2 रकबा 1.0800 है। भूमि की चारों दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/- एक हजार रुपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा नहीं है तो प्रार्थीया कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थीया अदा करेंगे।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

